सत्यमेव जयते

बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित बिहार विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण ।

विजय कुमार चौधरी

वित्त मंत्री

वर्ष 2023

बिहार सरकार

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित बिहार विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत विवरण ।

विजय कुमार चौधरी

वित्त मंत्री

वर्ष 2023

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2022

क्रम सं०	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	
2	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन	1—2
3	वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण	3—13
4	मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण	14—21
5	राजकोषीय नीति युक्ति विवरण	22—29
6	राजकोषीय पारदर्शिता के लिए प्रकटन	30—36

प्राक्कथन

राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ एवं टिकाऊ बनाने हेतु राज्य सरकार ने 'न्याय के साथ विकास' मिशन को सर्वोच्च वरीयता दी है, जिसके लिए ठोस वित्तीय स्थिति का होना आवश्यक है।

राज्य के सर्वांगीण एवं सतत् विकास के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2006 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू किया था। उक्त अधिनियम की धारा–12 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 निर्मित किया गया है, जिसमें अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत बिहार विधान मंडल में प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण के प्रारूपों को निरूपित किया गया है।

यह विवरण राज्य सरकार की राजकोषीय नीति एवं वित्तीय अनुशासन का सिंहावलोकन है। इस विवरण द्वारा राज्य सरकार के राजकोषीय कार्यों को पारदर्शिता के साथ बिहार विधान मंडल के पटल पर रखा जा रहा है।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन

अर्थव्यवस्था को सतत् एवं तीव्र गति से विकास प्रदान करने के लिए मजबूत वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। राजकोषीय प्रबंधन को बेहत्तर करने के लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। इस दिशा में राज्य सरकार ने 18 फरवरी, 2006 को बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम को बिहार विधान मंडल में कानून का रूप दिया।

वर्ष 2005 में राज्य सरकार ने अपने श्वेत–पत्र में भी राजकोषीय अनुशासन एवं कुशल वित्तीय प्रबंधन का संकल्प लिया था। वर्ष 2005 से ही राजस्व घाटा शून्य करते हुए राजस्व अधिशेष सृजित किया जा रहा है, जो वित्तीय वर्ष 2018–19 तक जारी रहा। साथ ही राजकोषीय घाटा को भी एफ०आर०बी०एम० अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर रखा गया। गौरतलब है कि बजट एक गतिशील एवं परिवर्त्तनशील प्रक्रिया है, जो अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होती है, इसलिए इसमें समयानुकूल समुचित बदलाव आवश्यक है।

इस परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने वैश्विक आर्थिक मंदी एवं भारत सरकार के निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा के अनुपात को 3.00 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 4.00 प्रतिशत एवं 3.50 प्रतिशत किया था।

14वाँ वित्त आयोग ने राज्यों एवं केन्द्र सरकार की वित्तीय स्थिति एवं उसके प्रबंधन का आकलन किया था तथा अपनी अनुशंसा में आवश्यक सुधार किया था। इस अनुशंसा को राज्य सरकार ने एफ०आर०बी०एम० अधिनियम में वर्ष 2016 में अपेक्षित संशोधन कर पूर्णतः लागू करते हुए इसका अक्षरशः पालन किया गया।

वैश्विक महामारी (Covid-19) एवं अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण आर्थिक मंदी के मद्देनजर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने राजकोषीय नति में पुनः बदलाव किया एवं राज्य सकल घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा के अनुपात की पूर्व से निर्धारित सीमा 3.50 को बढ़ाकर वर्ष 2020–21 के लिए 5.00 प्रतिषत (1.5 प्रतिशत सशर्त) तथा वर्ष 2021–22 के लिए 4.5 प्रतिषत (1.00 प्रतिशत सशर्त) कर दिया था। उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन आधिनियम में संशोधन कर अधिसीमा में तदनुसार बढ़ोतरी की।

तीव्र आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने भारत केन्द्रीय के वित्त मंत्रालय के निर्णय के आलोक में वर्ष 2022–23 में सकल राज्य घेरलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा के अनुपात को 4.00 प्रतिशत (0.50 प्रतिशत सशर्त) तथा पूनः वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट के लिए इस अधिसीमा को 3.50 प्रतिशत (0.50 प्रतिशत सशर्त) रखा गया है।

वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 की धारा–12 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 बनाई है।

एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, 2006 एवं इसके अलग–अलग धाराओं के अधीन निर्मित बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 के आलोक में बिहार विधान मंडल के समक्ष निम्न 4 प्रारूपों के साथ विवरणी उपस्थापित की जा रही हैः–

अनुसूची–1ः अधिनियम की धारा–6 के अधीन वृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण,

अनुसूची –2ः अधिनियम की धारा–7 की उपधारा–1 के अधीनः मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण,

अनुसूची –3ः अधिनियम की धारा 8 के अधीनः राजकोषीय नीति युक्ति विवरण, तथा

अनुसूची –4ः अधिनियम की धारा 10 के अधीनः राजकोषीय पारदर्शिता के लिए प्रकटन

अनुसूची–1
वृहद् आर्थिक रूप रेखा विवरण

क. सामान्य

राज्य सरकार की सूझ–बूझ एवं निरंतर प्रयास से अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौट रही है। वैश्विक महामारी (कोविड–19) एवं अंतराष्ट्रीय तनाव की वजह से अखिल विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था और अभी भी वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3 प्रतिशत के ही इर्द–गिर्द है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में –6.60 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की थी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2021–22 में देश की अर्थव्यवस्था 8.68 प्रतिशत की दर से बढ़ी। बिहार की अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020–21 के दौरान –3.15 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई थी। राज्य सरकार के कुशल नीतिगत निर्णय और अनुशासित वित्त प्रबंधन के फलस्वरूप बिहार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में 10.98 प्रतिशत की तीव्र आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की गयी है।

(1) राज्य अर्थव्यवस्था की रूप–रेखा (उत्पादन की वृद्धि की दर में रूझानों का विश्लेषण):

देश के विभिन्न राज्यों के बीच बिहार आर्थिक संकट से सबसे तेजी से उबरने वाला राज्य है। जहाँ एक ओर कोविड–19 एवं अन्य प्रभावों से वित्तीय वर्ष 2020–21 में राज्य की आर्थिक वृद्धि दर (–3.15 प्रतिशत) में गिरावट दर्ज हुई थी वहीं वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार की अर्थव्यवस्था में 10.98 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि दर देखी गयी। देश के प्रमुख राज्यों के आर्थिक वृद्धि के मामले में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बिहार का देश के सबसे तीव्र आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाले राज्यों में तीसरा स्थान है।

इस प्रकार राज्य सरकार ने सार्वजनिक निवेश (पूँजीगत परिव्यय) में बढ़ोत्तरी कर आधारभूत अधिसंरचना के विकास को और गति दी है। ग्राफ क–I में देश के विभिन्न राज्यों की आर्थिक वृद्धि दर को प्रस्तुत किया गया है। इस ग्राफ से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 में बिहार सर्वाधिक आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य है। आन्ध्र प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर 11.40 प्रतिशत तथा राजस्थान का आर्थिक वृद्धि दर 11.04 प्रतिशत की तुलना में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98 प्रतिशत रहा। बिहार राज्य का यह विकास दर (10.98 प्रतिशत) राष्ट्रीय औसत विकास दर (8.60 प्रतिशत) से 2.38 प्रतिशत अंक ज्यादा है।

ग्राफ क–I: स्थिर मूल्य (वर्ष 2011–12) पर देश के विभिन्न राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का आर्थिक वृद्धि दर (2021–22)

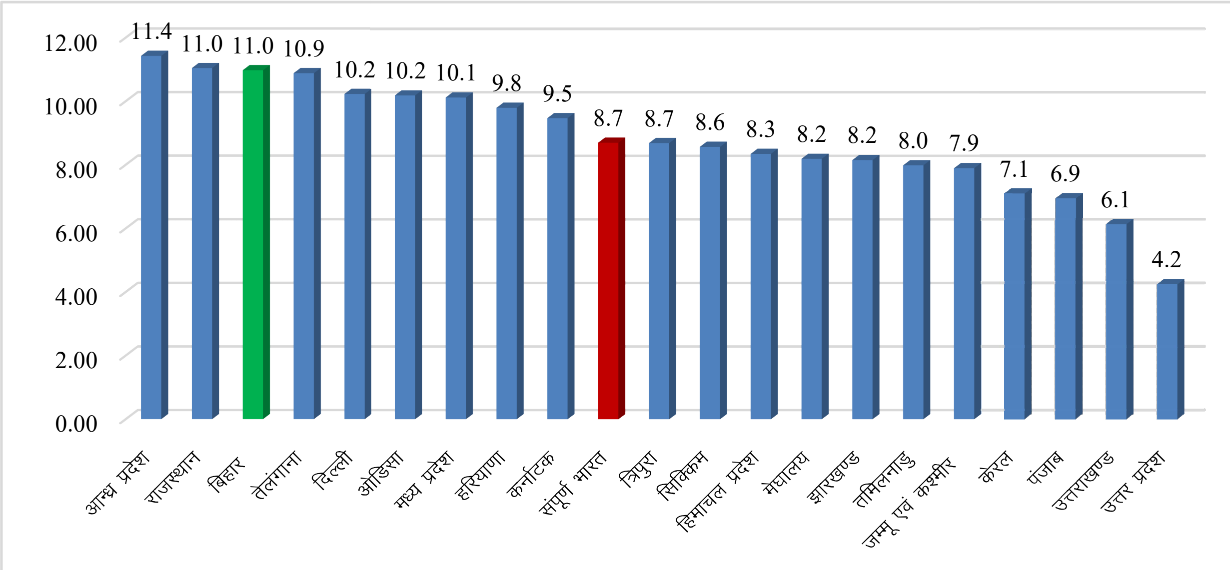

व्यापक एवं अनुशासनिक राजकोषीय नीति अपनाते हुए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022–23 में 10.3 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में 15.2 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने का प्राक्कलन किया है।

(2) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (सकल राज्य घरेलू उत्पाद–वृद्धि तथा इसकी प्रक्षेत्रीय संरचना में रूझानों का समग्र विश्लेषण):

बिहार की अर्थव्यवस्था की प्रगति पर क्षेत्रवार प्रकाश डालने पर राज्य की आर्थिक विकास के कारकों का पता चलता है। तालिका क–I में बिहार की अर्थव्यवस्था का क्षेत्रात्मक विवरण दिया गया है। इस तालिका में विभिन्न क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि दर को वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2021–22 तक प्रस्तुत किया गया है, जिससे राज्य के विकास को गहराई से समझा जा सके। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2015–20 की अवधि में 28.35 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई वहीं वित्तीय वर्ष 2021–22 में यह वृद्धि 10 प्रतिशत के निकटतम है। इस क्षेत्र में वृद्धि का प्रमुख कारण पशुपालन, मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि प्रक्षेत्र में तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल होना है।

द्वितीयक क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2021–22 के बीच 1.6 गुणा वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र में वृद्धि के प्रमुख कारक बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं के (2.5 गुणी वृद्धि) के साथ–साथ विनिर्माण के क्षेत्र में हुई तीव्र वृद्धि (2.01 गुणी वृद्धि) है।

इसी प्रकार सेवा के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में 1.68 गुणी वृद्धि दर्ज की गयी है। इसके मुख्य कारक (i) वित्तीय सेवाएँ (2.58 गुणी वृद्धि), (ii) परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएँ (2.32 गुणी वृद्धि) तथा (iii) अन्य सेवाएँ (2.45 गुणी वृद्धि) हैं।

समग्र रूप से वित्तीय वर्ष 2021–22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जिसमें सेवा क्षेत्र में 13.26 प्रतिशत तथा कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में 9.57 प्रतिशत वृद्धि का बहुमूल्य योगदान है। इन क्षेत्रों में उच्च आर्थिक विकास के कारण अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्त्तन देखा गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2021–22 की अवधि में कुल सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्राथमिक (कृषि एवं संबंधित) क्षेत्र का हिस्सा 25.8 प्रतिशत से घट कर 21.2 प्रतिशत हो गया है। इसी अवधि में द्वितीयक क्षेत्र (औद्योगिक क्षेत्र) लगभग स्थिर (18.8 प्रतिशत से 18.1 प्रतिशत) है। प्राथमिक क्षेत्र में 4.6 प्रतिशत अंक एवं द्वितीयक क्षेत्र में 0.7 प्रतिशत अंक के ह्रास का लाभ तृतीयक क्षेत्र को हुआ है, जिसके फलस्वरूप राज्य सकल मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र (सेवा) का हिस्सा 55.5 प्रतिशत से बढ़कर 60.7 प्रतिशत हो गया है। सेवा क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत अंकों का विस्तार मुख्यतः तीव्र वृद्धि दर के कारण हुआ है।

तालिका क: स्थिर मूल्य (वर्ष 2011–12) पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार अवलोकन (वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2021–22)

क्र० सं०	मदें	2011-12	2015-16	2020-21	2021-22	वार्षिक वृद्धि दर (2021-22)
1.	कृषि / वानिकी और मत्स्य	62067	60735	77951	85424	9.59
1.1	फसल	42608	35330	40048	44819	11.91
1.2	पशुधन	12028	16281	25189	26931	6.92
1.3	वानिकी / काष्ठ उत्पादन	4187	4353	6280	6500	3.51
1.4	मत्स्य एवं जलीय कृषि	3244	4772	6434	7173	11.49
2.	खनन / प्रस्तर खनन	199	1789	553	594	7.52
	उप योग (प्राथमिक)	**62265**	**62524**	**78504**	**86019**	**9.57**
3.	विनिर्माण	14666	23384	29164	29509	1.18
4.	विद्युत / गैस / जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं	3659	4272	8894	9161	3.00
5.	निर्माण	27017	28669	32530	34588	6.33
	उप योग (द्वितीयक)	**45341**	**56325**	**70588**	**73258**	**3.78**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्टोरेंट	43904	50424	57973	70384	21.41
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	41109	47496	56393	66714	18.30
6.2	होटल एवं रेस्टोरेंट	2796	2927	1580	3670	132.27
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं	17545	29428	33778	40685	20.45
7.1	रेलवे	2751	4070	4657	4802	3.13
7.2	सड़क परिवहन	8405	14006	16684	21998	31.85
7.3	जल परिवहन	49	18	31	33	4.97
7.4	वायु परिवहन	31	126	163	252	54.39
7.5	परिवहन के लिए आकस्मिक सेवाएं	893	1499	1712	2287	33.54
7.6	भंडारण	74	80	263	301	14.56
7.7	प्रसारण से संबंधित सेवाएं	5342	9629	10267	11012	7.26
8.	वित्तीय सेवाएं	8839	12258	20841	22782	9.32
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व तथा व्यवसाय सेवाएं	28023	29991	34348	35701	3.94
10.	लोक प्रशासन	13587	13132	20891	21927	4.96
11.	अन्य सेवाएं	22193	32008	49219	54360	10.44
	उप योग (तृतीयक)	**134092**	**167240**	**217050**	**245839**	**13.26**
12.	**सकल राज्य मूल्यवर्धन**	**241698**	**286090**	**366142**	**405116**	**10.64**
13	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**247144**	**296488**	**385728**	**428065**	**10.98**

स्रोतः राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार।

(3) राज्य सरकार के वित्त की रूप–रेखा (राजस्व संग्रहण एवं व्ययों में रूझानों का विश्लेषण और महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतकों को सम्मिलित करते हुए राज्य वित्त का विकास):

राज्य सरकार बेहतर वित्तीय प्रबंधन को मूर्त रूप देने के लिए समय–समय पर नवाचार का प्रयोग करते रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अप्रैल 2019 से लागू महत्वाकांक्षी परियोजना–समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) है। इसके तहत राज्य का वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं सरल बनाया गया है।

हाल के वर्षों में आर्थिक एवं वित्तीय हालातों के प्रतिकूल होने के बावजूद राज्य सरकार ने अपने साधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग कर सार्वजनिक निवेश (पूँजीगत परिव्यय) को बढ़ा कर तथा सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र के प्राथमिकता देते हुए राज्य की वित्त व्यवस्था का बेहतर बनाने की कोशिश की है। वित्तीय वर्ष 2020–21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 में राजस्व घाटा सहित वित्तीय घाटा को कम किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजस्व घाटा को समाप्त कर अधिशेष जुटाने के अनुमान के साथ सकल राज्य घरेलु उत्पाद से राजकोषीय घाटा के अनुपात को भी अधिनियम के द्वारा निर्धारित सीमा 3.50 प्रतिशत के अन्दर 2.98 प्रतिशत रखा गया है।

किसी भी राज्य के वित्तीय रूप रेखा को समझने के लिए वहाँ का वित्तीय प्रबंधन एवं उसके आयाम को गहराई से समझना अतिआवश्यक है। वित्तीय प्रबंधन को प्रमुख रूप से निम्न चार आयामों में वर्गीकृत किया जाता है–

1. राजस्व संग्रहण, 2. व्यय प्रबंधन, 3. ऋण प्रबंधन तथा 4. घाटा प्रबंधन

1. राजस्व संग्रहणः– कोविड महामारी एवं वैश्विक आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव राजस्व संग्रहण पर पड़ा था। विश्व सहित भारत में भी राजस्व प्राप्तियों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई थी। राजस्व प्राप्तियों के कई मद में तो ह्रास भी दर्ज की गयी है। परन्तु बिहार सरकार की सूझ–बूझ एवं राजस्व संग्रहण के अनेकों उपायों के तहत् कुल राजस्व प्राप्तियाँ वित्तीय वर्ष 2020–21 के 1,28,168 करोड़ रूपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021–22 में 1,58,797 करोड़ रूपये हो गयी है। वह वृद्धि 23.90 प्रतिशत है जो हाल के वर्षों में सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष 2022–23 का राजस्व प्राप्ति 1,96,705 करोड़ रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2,12,327 करोड़ रूपये का बजट

अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजस्व प्राप्ति में मुख्य रूप से कर राजस्व का 71.79 प्रतिशत योगदान है तथा वर्ष 2022–23 की तुलना में 15.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। राज्य सरकार ने अपने कर राजस्व में 20.1 प्रतिशत की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2023–24 में आकलित किया है जबकि केन्द्रीय बजट में केन्द्र सरकार से कर अंतरण के रूप में 7.57 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। साथ ही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम में वित्तीय वर्ष 2023–24 में 44,713 करोड़ रूपये का अनुमान है। इस प्रकार बजट राजस्व संग्रहण राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता होगी।

2. व्यय प्रबंधनः– राज्य सरकार के बेहतर व्यय प्रबंधन का प्रमाण इस बात से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 से अभी तक बिहार में कभी भी एक दिन के लिए ओवर ड्राफ्ट नहीं किया है। इतना ही नहीं राज्य सरकार ने अर्थोपाय अग्रिम भी नहीं लिया है। यह उपलब्धि इस बात को प्रमाणित करता है कि राज्य का निधि प्रभाव (Fund Flow) बेहतर एवं नियंत्रित रहा है। राजकोष का बेहतर उपयोग राज्य सरकार के व्यय के क्षेत्र में किये गये नवाचार परिवर्त्तन के फलस्वरूप हुआ है। व्यय प्रबंधन के क्षेत्र में समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) के लागू होने के बाद व्यय प्रबंधन को ज्यादा प्रभावी और आसान बनाया गया है। CFMS-2.0 के द्वारा कई और Modules को भी CFMS में सम्मिलित कर व्यय के अनुश्रवण और उसका समीक्षा करना होगा।। बजट निर्माण, आवंटन एवं प्रत्यर्पण का कार्य ऑन–लाईन हो गया है। इसकी वजह से बजट की पूरी प्रक्रिया और सुदृढ़, गुणवत्तायुक्त और युक्तिसंगत हो गयी है।

बिहार बजट 2023–24 का प्रमुख लक्ष्य उच्च आर्थिक विकास को हासिल करना है। इसलिए राज्य सरकार ने कुल बजट का करीब 64 प्रतिशत खर्च विकासात्मक मद पर रखा है। वर्ष 2021–22 की पूँजीगत परिव्यय 23,678 करोड़ रूपये की तुलना में वर्ष 2023–24 के बजट में इसे बढ़ा कर 29,257 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने उत्पादक व्यय (गुणवतापूर्ण व्यय) को ज्यादा प्रमुखता दी है जिससे उच्च आर्थिक विकास संभव हो सके। वित्तीय वर्ष 2023–24 के कुल बजट 2,61,885 करोड़ रूपये में से राज्य के जनमानस के कल्याण हेतु इस बजट में सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों में व्यय को प्रमुखता दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के सामाजिक आर्थिक क्षेत्रों में वास्तविक व्यय 1,30,451 करोड़ रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में 1,62,767 करोड़ रूपये का बजट अनुमानित है। बजट में यह बढ़ोतरी राज्य के

कल्याणकारी होने की जबाबदेही को प्रमाणित करता है। यह राज्य सरकार का व्यय प्रबंधन उच्च आर्थिक विकास के साथ–साथ लोक कल्याण के लक्ष्य को परिलक्षित करता है।

3. घाटा प्रबंधनः– कारोना महामारी, वैश्विक आर्थिक मंदी तथा उच्च मुद्रा स्फिति कई अन्य कारणों से पूरे विश्व सहित भारत में भी वित्तीय असंतुलन पिछले वर्षों में देखा गया है। राज्य में 2004–05 से 2018–19 तक राजस्व अधिशेष का निर्माण हुआ था, जो 75,000 करोड़ से भी अधिक था। राजस्व प्रप्तियों में वृद्धि नहीं होने तथा व्यय में अत्यधिक वृद्धि होने की वजह से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2019–20, वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में राजस्व घाटा हुआ, साथ ही वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं वित्तीय वर्ष 2021–22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में यह क्रमशः 3.67 प्रतिशत तथा 3.47 प्रतिशत रहा था। इसके अतिरिक्त प्राथमिक घाटा कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वर्ष 2020–21 में 2.80 प्रतिशत तथा वर्ष 2021–22 में 1.74 प्रतिशत दर्ज किया गया था।

इस परिपेक्ष्य में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट का उद्देश्य 'वित्तीय समेकन' रखा है। इस बजट में 4,478.97 करोड़ रुपये का राजस्व अधिशेष अर्जित करने का अनुमान है जिसे विकास मूलक मदों पर खर्च किया जायेगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा के अनुपात को 3.50 प्रतिशत के निर्धारित सीमा से कम 2.98 प्रतिशत रखा गया है। प्राथमिक घाटा को भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2023–24 में 0.84 प्रतिशत रखा गया है।

इस प्रकार राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों का मितव्ययीतापूर्ण उपयोग कर कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ राजकोषीय समेकन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मजबूती से कदम उठाया है।

4. ऋण प्रबंधनः– राज्य सरकार ने कोविड–19 के कुप्रभाव से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जनहित में व्यापक राजकोषीय नीति को अपनाते हुए ऋण का विवेकपूर्ण प्रबंधन किया है। राजकीय कोष की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अतिआवश्यक होने पर बाजार से सस्ता ऋण प्राप्त किया, जिससे अनावश्यक रूप से ऋण की रकम को राजकोष में रखकर ब्याज अदायगी न करना पड़े। राज्य सरकार द्वारा इस ऋण का उपयोग उत्पादक मद में व्यय हेतु किया गया।

इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020–21 में लिये गये ब्याज रहित ऋण 843.00 करोड़ रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 में लिये गये ब्याज रहित ऋण 1,246.50 करोड़ रुपये का पूर्ण उपयोग कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 8,760.35 करोड़ रूपये के ब्याज रहित ऋण में से अब तक 4,555.79 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में आकलित कुल बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37.81 प्रतिशत है जो पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 40.4 प्रतिशत से कम है।

अतः राज्य सरकार ने अपने राजस्व का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करते हुए ऋण को निर्धारित सीमा में रखा है।

तालिका खः चयनित राजकोषीय संकेतकों का रूझान

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र० सं०	राजकोषीय संकेतक	पूर्व वर्ष (वास्तविकी) 2021—22	चालू वर्ष (बजट अनुमान) 2022—23	आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2023—24	पूर्व वर्ष से चालू वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन	चालू वर्ष से आगामी वर्ष में प्रतिशत परिवर्तन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**कुल राजस्व प्राप्तियाँ (2+3+4)**	**158797.33**	**196704.51**	**212326.97**	**23.87**	**7.94**
2.	**कर राजस्व (2क+2ख)**	**126207.16**	**132567.60**	**152437.31**	**5.04**	**14.99**
	(क) संघीय करों में राज्य का अंश	91352.62	91180.60	102737.26	-0.19	12.67
	(ख) राज्य सरकार के कर—राजस्व	34854.54	41387.00	49700.05	18.74	20.09
3.	राज्य सरकार के कर भिन्न राजस्व	3984.34	6135.62	6511.74	53.99	6.13
4.	केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान	28605.83	58001.29	53377.92	102.76	-7.97
5.	पूंजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	40472.82	41187.43	49758.44	1.77	20.81
6.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	27.92	431.55	431.91	1445.67	0.08
	लोक ऋण (7+8)	**40444.90**	**40755.88**	**49326.53**	**0.77**	**21.03**
7.	राज्य सरकार के आंतरिक ऋण	30917.46	37845.88	47451.53	22.41	25.38
8.	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	9527.44	2910.00	1875.00	-69.46	-35.57
9.	**कुल प्राप्तियाँ (1+5)**	**199270.15**	**237891.94**	**262085.40**	**19.38**	**10.17**
10.	**स्थापना एव प्रतिबद्ध व्यय**	**109825.45**	**137460.94**	**161855.67**	25.16	17.75
10.1	राजस्व खाते पर जिसमें	100732.94	122603.30	138012.19	21.71	12.57
	(क) ब्याज भुगतान	13821.93	16305.03	18354.44	17.96	12.57
	(ख) पेंशन	20257.58	24252.29	29436.92	19.72	21.38
	(ग) वेतन	22237.55	29749.57	31118.70	33.78	4.60
10.2	**पूंजीगत खाते पर (क+ख+ग+घ)**	**9092.51**	**14857.64**	**23843.48**	**63.41**	**60.48**
	(क) राज्य का आन्तरिक ऋण	7619.64	12927.41	21487.65	69.66	66.22
	(ख) केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1126.83	1742.62	2071.04	54.65	18.85
	(ग) पूंजीगत व्यय	27.63	67.10	163.50	142.85	143.67
	(घ) ऋण एवं पेशगियाँ	318.41	120.51	121.29	-62.15	0.65
11.	**स्कीम व्यय (11.1+11.2)**	**83297.54**	**100230.25**	**100029.73**	**20.33**	**-0.20**
	(क)वार्षिक स्कीम	83149.18	100000.00	100000.00	20.27	0.00
	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	148.36	230.25	29.73	55.20	-87.09
11.1	राजस्व खाते पर	58486.77	69353.37	69835.81	18.58	0.70
11.2	पूंजीगत खाते पर	24810.77	30876.88	30193.92	24.45	-2.21
12.	**कुल व्यय (10+11)**	**193122.99**	**237691.19**	**261885.40**	**23.08**	**10.18**
13.	**राजस्व व्यय (10.1+11.1)**	159219.71	191956.67	207848.00	20.56	8.28
14.	**पूंजीगत व्यय (10.2+11.2)**	33903.28	45734.52	54037.40	34.90	18.15
15.	**राजस्व घाटा (13—1)**	422.38	-4747.84	-4478.97		
16.	**राजकोषीय घाटा {12—(1+6+10.2(क)+10.2(ख))}**	25551.27	25885.10	25567.84		
17.	**प्राथमिक घाटा {(16—10.1(क)}**	11729.34	9580.07	7213.39		
18.	**जी.एस.डी.पी.**	675448.00	745310.00	858928.00		
19.	**राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.**	3.78%	3.47%	2.98%		
20.	**ब्याज भुगतान/कुल राजस्व प्राप्तियाँ**	8.70%	8.29%	8.64%		

(4) संभावनायें (वृद्धि संभावनाओं और राजकोषीय संभावनाओं से संबंधित आकलन करना):

बिहार कृषि प्रधान राज्य है। राज्य का 20 प्रतिशत से अधिक अर्थव्यवस्था कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का है। जीविकोपार्जन के लिए लगभग 50 प्रतिशत लोग इस क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। राज्य के लगभग 85 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों की है। इस परिपेक्ष्य में राज्य सरकार तीन कृषि रोड मैप की सफलता के पश्चात चतुर्थ कृषि रोड मैप को लागू करने जा रही है। इस रोड मैप में राज्य में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के विकास, उससे संबंधित अभिसंरचना एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए राज्य में आपार संभावनाएँ उद्दृत हो रही है।

स्टार्ट–अप नीति 2017 के पश्चात निवेशकों के हित में स्टार्ट–अप नीति 2022 लागू किया गया है, जिससे चयन प्रक्रिया सरल, पारदर्शी एवं तीव्र हुआ है। वर्ष 2022 की यह नीति राज्य में स्टार्ट–अप का एक नया द्वार खोलेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमिता की नयी संभावनाओं को उजागर करेगी।

औद्योगिक क्षेत्र में हाल में टेक्सटाईल, इथनॉल, चर्म उद्योग इत्यादि के नीतियों का निर्माण कर इस क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार का यह नीतिगत निर्णय राज्य में औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में संभावनाओं को आमंत्रित करता है।

मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को सफलतापूर्वक लागू कर राज्य में लगभग 16,000 उद्यमियों को लाभांवित किया गया है। जिससे राज्य के हर वर्ग के युवाओं को उद्यमी बनने का मौका मिला है और रोजगार के नये अवसर का सृजन हुआ है। वर्ष 2023–24 में भी इस योजनाओं के तहत राज्य में नये निवेश की संभवानाओं को मूर्त रूप दिया जायेगा। बिहार कौशल विकास मिशन के तहत लाखों युवाओं का कौशलवर्द्दन किया जा रहा है जो स्वरोजगार एवं दक्षतापूर्ण रोजगार प्राप्त कर सकेंगे।

इस प्रकार राज्य में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों एवं उद्योगों में निवेश के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के फलस्वरूप उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने का लक्ष्य है। सेवा के क्षेत्र में कॉल सेंटर, सूचना प्रौद्योगिकी, अभियंत्रण आदि क्षेत्रों के साथ–साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, ई–कॉमर्स इत्यादि में निवेश का भी राज्य में आपार संभावनाएँ है।

राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने के प्रति वचनबद्ध है। नये रोजगार सृजन से राज्य के हर वर्ग के आय में बढ़ोतरी होगी, बेरोजगारी दूर होगी साथ ही कृषि पर रोजगार की निर्भरता में कमी आयेगी। राज्य के प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होगी तथा समग्र मांग में वृद्धि के फलस्वरूप राज्य का तीव्र गति से विकास होगा।

अनुसूची–2

मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण

वित्तीय वर्ष 2023–24 के वित्त व्यवस्था की रूप रेखा को काफी व्यापक रखा गया है। राज्य सरकार ने राजकोषीय नीति को वित्तीय समेकन के उद्देश्य को ध्यान में रख कर निर्धारित किया है। पूर्व के अध्याय के मद्देनजर, राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के फलस्वरूप बिहार सरकार ने कुल राजस्व प्राप्तियों में 7.94 प्रतिशत वृद्धि अनुमान लगाया है। साथ ही आगामी वर्षों में यह उच्च आर्थिक विकास दर बना रहे इसके लिए राज्य सरकार ने मानव विकास से संबंधित आर्थिक सामाजिक प्रक्षेत्र में विशेष जोर देते हुए विकासात्मक व्यय के ऊपर मुख्य फोकस रखा है। गुणवत्ता पूर्ण सार्वजनिक निवेश एवं राज्य की लोक ऋण एवं सार्वजनिक घाटा प्रबंधन को बेहत्तर करने के उद्देश्य से राजकोषीय समेकन के पथ पर अग्रसर होने वाली राजकोषीय नीति को तरजीह दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल राजस्व घाटा जहाँ 422.38 करोड़ रूपये था वहीं वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजस्व अधिशेष उपार्जित करने का अनुमान है। यह राजस्व अधिशेष वित्तीय वर्ष 2023–24 में 4478.97 करोड़ का बजट अनुमान है। यह राजस्व अधिशेष कुल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.52 प्रतिशत होना अनुमानित है।

वित्तीय प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण संकेतक सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटा का अनुपात को भी वित्तीय वर्ष 2021–22 के 3.78 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 के 3.47 प्रतिशत से घटा कर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2.98 प्रतिशत पर लाया गया है। अन्य राजकोषीय संकेतकों को भी देखे तो पता चलता है कि राजकोषीय समेकन के पथ की ओर अग्रसर करने का लक्ष्य प्रलक्षित होता है।

क. राजकोषीय संकेतक– चल लक्ष्य

(राशि करोड़ रूपये में)

क्र० सं०	राजकोषीय संकेतक	पूर्व वर्ष (Y-2) वास्तविक	चालू वर्ष (Y-1) पुनरीक्षित बजट प्राक्कलन	आगामी वर्ष (Y) बजट प्राक्कलन	आगामी दो वर्षों के लिए लक्ष्य	
					वर्ष (Y+1)	वर्ष (Y+2)
		2021—22	**2022—23**	**2023—24**	**2024—25**	**2025—26**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
क.	राजस्व घाटा	422.38	28348.66	-4478.97	-4926.86	-5419.55
ख.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा/आधिक्य	0.06	3.59	-0.52	-0.52	-0.52
ग.	राजकोषीय घाटा	25551.27	69383.72	25567.84	28344.62	31179.09
घ.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा	3.78	8.79	2.98	3.00	3.00
ड.	प्राथमिक घाटा	11729.34	53078.69	7213.39	7990.18	8824.64
च.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में प्राथमिक घाटा/आधिक्य	1.74	6.73	0.84	0.85	0.85
छ.	ऋण भंडार	257510.22	298994.51	324762.35	353106.97	384286.06
ज.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में कुल ऋण भंडार	38.12	37.90	37.81	37.37	36.98
झ.	सरकारी प्रतिभूतियाँ	24654.87	21501.95	21501.95	21501.95	21501.95
ञ.	राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में वेतन, पेंशन एवं ब्याज का योग	35.46	35.68	37.16	37.97	37.83

राजकोषीय संकेतक का पूर्वानुमान–

(1) राजस्व प्राप्तियाँ :–

(क) **<u>कर–राजस्व</u>** – कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है । वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा 1,02,737.26 करोड़ रूपये अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य सरकार के कर राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 49,700.05 करोड़ रूपये है जिसमें वाणिज्यकर विभाग से 39,550.00 करोड़ रूपये, निबंधन विभाग से 6,300.00 करोड़ रूपये, परिवहन विभाग से 3,300.00 करोड़ रूपये एवं भू–राजस्व विभाग से 550.00 करोड़ रूपये का संग्रहण किया जायेगा ।

(ख) **<u>कर–भिन्न राजस्व</u>** – वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए राज्य का करेत्तर राजस्व 6,511.74 करोड़ रूपये अनुमानित है, जिसमें मुख्यतः खनन एवं भूतत्व मद से 3,300.00 करोड़ रूपये, ब्याज प्राप्ति मद में 1,704.73 करोड़ रूपये एवं 843.12 करोड़ रूपये झारखण्ड राज्य सरकार से 14 नवम्बर 2000 के पूर्व सेवा निवृत कर्मियों को भुगतान की गयी पेंशन की दायित्व की राशि से प्राप्त होनी है ।

(ग) **<u>कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा</u>** – कुल कर राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने कर राजस्व का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 41,387.00 करोड़ रूपये अनुमानित है और वित्तीय वर्ष 2023–24 में 49,700.05 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान किया गया है । वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य के कुल कर–राजस्व में अपने कर–राजस्व का हिस्सा 32.60 प्रतिशत अनुमानित है ।

(घ) **<u>कर–भिन्न राजस्व</u>** – वित्तीय वर्ष 2023–24 में कर–भिन्न राजस्व 6,511.74 करोड़ रूपये होने की संभावना है जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान 6,135.62 करोड़ रूपये से 376.12 करोड़ रूपये अधिक है ।

(2) पूंजीगत प्राप्तियाँ :–

वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूंजीगत प्राप्तियां 49,758.44 करोड़ रूपये होने की संभावना है जो वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान 41,187.43 करोड़ रूपये से 8,571.01 करोड़ रूपये अधिक है ।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता निम्नानुसार रहेगी–

(क) **केन्द्र से उधार तथा अग्रिम** – वित्तीय वर्ष 2023–24 में बाह्य सम्पोषित परियोजनाओं के मद में बाह्य एजेंसियों से 1,875.00.00 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है ।

(ख) **बाजार ऋण** – वित्तीय वर्ष 2023–24 में बाजार ऋण के अंतर्गत 44,390.48 करोड़ रूपये प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि बाजार ऋण की उगाही भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के माध्यम से की जाती है ।

(ग) **वित्तीय संस्थानों से उधार** – वित्तीय वर्ष 2023–24 में नाबार्ड से 3,000.00 करोड़ रूपये ऋण प्राप्त होने का अनुमान है । उल्लेखनीय है कि यह ऋण जिन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत होता है उन परियोजनाओं के कार्य की अद्यतन प्रगति के आधार पर ऋण प्राप्त होता जाता है । यह ऋण प्राप्ति का सबसे सस्ता स्रोत है ।

(घ) **उधारों तथा अग्रिमों की वसूली** –31 मार्च 2022 तक राज्य का 23,194.37 करोड़ रूपये उधार तथा अग्रिम बकाया है । उधार एवं अग्रिम का बड़ा भाग (15,943.10 करोड़ रूपये) ऊर्जा प्रक्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये उधार का बकाया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में ऋणों की वसूली अन्तर्गत 431.91 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

(ङ) **बकाया दायित्व – लोक ऋण तथा अन्य दायित्व** – वित्तीय वर्ष 2021–22 की वास्तविकी के अनुसार मार्च 2022 की समाप्ति पर लोक ऋण 2,08,913.30 करोड़ रूपये है । राज्य के अन्य दायित्व (लोक लेखा में अल्प बचत, भविष्य निधियाँ आरक्षित निधियाँ एवं जमा एवं पेशगियाँ) 48,596.92 करोड़ रूपये हैं । इन दोनों को शामिल करने के उपरांत कुल बकाया दायित्व 2,57,510.22 करोड़ रूपये का है ।

(3) कुल व्यय :

राज्य सरकार के कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत लेखे में वर्गीकृत किया जाता है । राजस्व लेखे में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय तथा स्कीम व्यय को सम्मिलित किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट प्राक्कलन के अनुसार स्कीम व्यय के अन्तर्गत राजस्व व्यय 69,835.81 करोड़ रूपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत राजस्व व्यय 1,38,012.19 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

(क) राजस्व लेखा – राजस्व लेखा के अंतर्गत मुख्यतः वेतन, पेंशन तथा ब्याज भुगतान शामिल है ।

(i) वेतन – वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत वेतन मद में 31,118.70 करोड़ रूपये के भुगतान का अनुमान है । इसके अतिरिक्त स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से वेतन लोक उपक्रम एवं अन्य संस्थाओं के कर्मियों को वेतन मद में सहायक अनुदान की राशि 11,671.98 करोड़ रूपये जिसमें विश्वविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन एवं पेंशन मद में सहायक अनुदान के रूप में 4,883.80 करोड़ रूपये का भुगतान अनुमानित है ।

(ii) ब्याज भुगतान – वित्तीय वर्ष 2023–24 में 18,354.44 करोड़ रूपये का ब्याज भुगतान अनुमानित है ।

(iii) पेंशन – पेंशन मद में वित्तीय वर्ष 2023–24 में 29,436.92 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है ।

(ख) पूंजीगत लेखा – पूंजीगत लेखा के अंतर्गत मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय, लोक ऋण तथा उधार एवं अग्रिम शामिल है ।

(i) पूँजीगत परिव्यय – राज्य के पूँजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधिसंरचनाओं के विकास हेतु किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2023–24 में पूंजीगत परिव्यय अन्तर्गत 29,257.31 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है ।

(ii) लोक ऋण – वित्तीय वर्ष 2023–24 में लोक ऋण में 23,558.69 करोड़ रूपये अनुमानित है जिसमें राज्य के आंतरिक ऋण के विरूद्ध 21,487.65 करोड़ रूपये की राशि और केन्द्र

सरकार से लिए गये कर्ज तथा अग्रिम के मद में 2,071.04 करोड़ रूपये का व्यय अनुमान है ।

(iii) उधार तथा अग्रिम – वित्तीय वर्ष 2023–24 में उधार तथा अग्रिम मद में 1,221.40 करोड़ रूपये अनुमानित है ।

(4) राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) :

योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) का पत्र सं० 1449, दिनांक–28.09.2022 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2023–24 का राज्य सकल घरेलू उत्पाद (आधार वर्ष 2011–12) 8,58,928 करोड़ रूपये अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2021–22 की वास्तविकी में राज्य सकल घरेलू उत्पाद 6,75,448.00 करोड़ रूपये है ।

(5) संवहनीयता का निर्धारण

(i) सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन – राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा प्राप्तियों की दर में और अधिक तेजी से वृद्धि हो । वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति जी०एस०डी०पी० का 26.39 प्रतिशत है तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 में इसके 24.72 प्रतिशत रहने की संभावना है । वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान में राज्य के अपने कर राजस्व का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 5.6 प्रतिशत है और वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान में इसके 5.8 प्रतिशत रहने की संभावना है । वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान के लिए केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जी०एस०डी०पी० से अनुपात 12.23 प्रतिशत है और यह वित्तीय वर्ष 2023–24 बजट अनुमान में 11.96 प्रतिशत संभावित है ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 8.29 प्रतिशत अनुमानित है, जिसके वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान में 8.64 प्रतिशत हो जाने की संभावना है ।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के पुनरीक्षित बजट अनुमान के अनुसार कुल ऋण दायित्व का राज्य सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात 37.81 प्रतिशत अनुमानित है ।

(ii) <u>स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान</u> – वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट प्राक्कलन के अनुसार 29,749.57 करोड़ रूपये व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट प्राक्कलन में 31,118.70 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान किया गया है । पेंशन मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट प्राक्कलन के अनुसार 24,252.29 करोड़ रूपये व्यय की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट प्राक्कलन में 29,436.92 करोड़ रूपये व्यय होने का अनुमान है ।

राज्य द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा आवश्यकता के आलोक में ऋण लेने के कारण ब्याज भुगतान के व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है । ब्याज भुगतान मद में वित्तीय वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार 16,305.03 करोड़ रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2023–24 में 18,354.44 करोड़ रूपये भुगतान किये जाने का अनुमान है ।

(iii) <u>पूँजीगत प्राप्तियाँ जिसमें बाजार ऋण भी सम्मिलित हैं, का उत्पादक आस्तियों के सृजन के लिये उपयोग</u> – राज्य के द्वारा राजस्व बचत की स्थिति वित्तीय वर्ष 2004–05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार राजस्व बचत की स्थिति बनाये रखी गई है । सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक संरचनाओं को सुदृढ़ करने हेतु यथा सिंचाई, सड़क तथा पुलों, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के निर्माण में किया जा रहा है । आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है ।

(iv) <u>आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना</u> – वित्तीय वर्ष 2023–24 में पेंशन मद में 29,436.92 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है । वित्तीय वर्ष 2023–24 से आगे के वर्षों के लिए 9 प्रतिशत की वृद्धि दर को आधार मानकर आकलन किया गया है ।

तालिका ख.3: अगले 10 वर्षों के लिए प्राक्कलित वार्षिक पेंशन दायित्व का ब्यौरा

वर्ष	राशि करोड़ रूपये में
2021-22	20257.58
2022-23	25467.93
2023-24	29436.92
2024-25	32086.24
2025-26	34974.00
2026-27	38121.67
2027-28	41552.61
2028-29	45292.35
2029-30	49368.66
2030-31	53811.84
2031-32	58654.91
2032-33	63933.85

अनुसूची–3
राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

(1) **राजकोषीय नीति अवलोकनः**– राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूँजीगत व्यय को बढ़ाना है, जिससे सामाजिक एवं भौतिक अधिसंरचना में निवेश किया जा सके । इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में भी सहायता मिलेगी । साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों में भी राजस्व व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है । इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक गैर–योजना राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है । पूर्व के वर्षों में आर्थिक विकास की दर में सुधार होने के कारण कर–संग्रहण में वृद्धि देखी गई है ।

बजट अनुमान के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियों में वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट अनुमान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान में 7.94 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । राज्य के अपने कर–राजस्व में वित्तीय वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में 20.09 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है । कर–भिन्न राजस्व में वित्तीय वर्ष 2022–23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में 6.13 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ।

राज्य का राजस्व बचत वित्तीय वर्ष 2022–23 (बजट अनुमान) 4,747.84 करोड़ रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में 4,478.97 करोड़ रूपये अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2022–23 (बजट अनुमान) 25,885.10 करोड़ रूपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023–24 में 25,567.83 करोड़ रूपये अनुमानित है । यह राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2022–23 (बजट अनुमान) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद 7,45,310.00 करोड़ रूपये (आधार वर्ष 2011–12) का 3.47 प्रतिशत है । वित्तीय वर्ष 2023–24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,58,928.00 करोड़ रूपये (आधार वर्ष 2011–12) का 2.98 प्रतिशत है, जो बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2022 की निर्धारित सीमा 3.5 प्रतिशत (0.5 प्रतिशत सशर्त) के अन्तर्गत है ।

(2) <u>आगामी वित्तीय वर्ष के लिये राजकोषीय नीति</u> :— चूंकि भारत सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (जी०एस०टी०) अधिनियम 2017 में लागू किया गया है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा भी बिहार राज्य में जी०एस०टी० अधिनियम को राज्य के विधान मंडल से पारित कराने के उपरांत लागू किया गया है और इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए समय—समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

(अ) व्यय नीतिः— स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में अनुत्पादक व्यय में कमी करना, वार्षिक स्कीम व्यय में वृद्धि करना, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से अधिक से अधिक राशि प्राप्त कर उक्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है ।

राज्य की बजट प्रस्तुतीकरण व्यवस्था में लागू किए गये कुछ अन्य सुधार निम्नानुसार हैं :—

(क) परिणाम बजटः— राज्य सरकार द्वारा वित्तीय प्रावधानों के माध्यम से महत्वपूर्ण भौतिक परिणाम दर्शाने के लिए ''परिणाम बजट'' की पहल वित्तीय वर्ष 2006—07 में शुरू की गयी थी । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2023—24 के लिए ''परिणाम बजट'' विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ख) जेण्डर बजटः— महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की वचनबद्धता ''जेण्डर बजट'' से परिलक्षित होती है । ''जेण्डर बजट'' के अन्तर्गत महिलाओं को लाभन्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिससे इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण किया जा सके । ''जेण्डर बजट'' वित्तीय वर्ष 2008—09 से प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2023—24 हेतु भी ''जेण्डर बजट'' विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ग) बाल कल्याण बजटः— राज्य की जनसंख्या में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का महत्वपूर्ण अनुपात है एवं राज्य सरकार उनके कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है । ''बाल कल्याण बजट'' के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का विवरण अंकित होता है । ''बाल कल्याण बजट'' वित्तीय वर्ष 2013—14 से

प्रस्तुत किया जा रहा है । इसी क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु भी बाल कल्याण बजट विधान मंडल में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(घ) उपलब्धि प्रतिवेदनः– वित्तीय वर्ष 2006–07 से उपलब्धि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की परिपाटी रही है । उपलब्धि प्रतिवेदन एक ऐसा माध्यम है, जिससे व्यय के उपरान्त समीक्षा द्वारा व्यय की उपयोगिता, सरकार के वित्तीय संव्यवहारों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत संबंधित वित्तीय वर्ष का उपलब्धि प्रतिवेदन तैयार कर जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2022–23 का उपलब्धि प्रतिवेदन जून/जुलाई माह में होने वाले विधान मंडल के सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

(ड.) हरित (ग्रीन) बजटः– हरित बजट का अर्थ है बजटीय नीति निर्माण के साधनों का उपयोग करके पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी लक्ष्य प्राप्ति में सहयोग करना। इसमें बजटीय और राजकोषीय नीतियों के पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन शामिल है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को क्षेत्रिय स्तर तक लाने तथा उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने हेतु बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रस्तुत हरित बजट को एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा सकता है।

<u>ऋण एवं आकस्मिक दायित्व</u> :– राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2004–05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है, तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है । इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुए पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा सकी है । वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आन्तरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार के ऋणों की वापसी के लिए ''निक्षेप निधि'' का गठन किया गया है । 31 मार्च 2022 तक इस निक्षेप निधि में ब्याज सहित जमा राशि 6,483.43 करोड़ रूपये है ।

(3) आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कार्यनीति एवं प्राथमिकताएँ

(I). कृषि रोड मैप

1. कृषि में समेकित विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए राज्य में कृषि रोड मैप बनाकर योजनायें चलाई जा रही हैं। 17 फरवरी, 2008 को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में किसान पंचायत के आयोजन से, कृषि रोड मैप बनाकर कृषि के समेकित विकास की शुरूआत हुई। इसके बाद वर्ष 2008 से 2012 तक पहला कृषि रोड मैप, 2012 से 2017 तक दूसरा कृषि रोड मैप और 2017 से 2023 तक के लिए तीसरा कृषि रोड मैप बनाकर राज्य सरकार इन्द्रधनुषी क्रांति लाने की दिषा में लगातार काम कर रही है।

2. कृषि रोड मैप के तहत तीव्र गति से योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कृषि से संबंधित 12 विभागों को एक साथ जोड़ा गया। एक साथ विकास का दृष्टिकोण, रणनीति एवं कार्यक्रमों का प्रमाणिक दस्तावेज तैयार किया गया। कृषि विकास के लिए इस प्रकार का दस्तावेज तैयार करनेवाला बिहार पहला राज्य बना। बिहार में 2011 में कृषि कैबिनेट बनाने वाला पहला राज्य बना।

3. क्रमबद्ध तरीके से हर कृषि रोड मैप का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रथम कृषि रोड मैप में जहाँ गुणवत्तापूर्ण बीज, नए कृषि यंत्र, हरी खाद, वर्मी कम्पोस्ट तथा कृषि के नए तकनीक को प्राथमिकता दी गई वहीं दूसरे कृषि रोड मैप का व्यापक विजन रखा गया – प्रत्येक भारतीय के थाल में बिहार का एक व्यंजन।

4. प्रथम कृषि रोड मैप की उपलब्धियों से उत्साह बढ़ने के फलस्वरूप दूसरे कृषि रोड मैप को व्यापक बनाया गया। इसमें कृषि, पशुपालन, सहकारिता के साथ–साथ सिंचाई, बिजली, विपणन, भंडारण एवं प्रसंस्करण, भूमि प्रबंधन, संपर्क पथ, वृक्षारोपण से संबंधित 12 विभागों को कार्यक्रम में शामिल किया गया। दूसरे कृषि रोड मैप का शुभारम्भ 3 अक्टूबर, 2012 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा किया गया।

5. तीसरे कृषि रोड मैप के प्रारूप पर 16 जून, 2017 को पटना के ज्ञान भवन में आयोजित किसान समागम का आयोजन किया गया। 09 नवम्बर, 2017 को तीसरे कृषि

रोड मैप का शुभारम्भ माननीय तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया।

6. कृषि रोड मैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011–12 में चावल, वर्ष 2012–13 में गेंहूँ, वर्ष 2015–16 में मोटे अनाज (मक्का), वर्ष 2016–17 में मोटे अनाज (मक्का) तथा वर्ष 2017–18 में गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य को कुल पाँच कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों से बिहार के कृषि धरोहरों, **कतरनी चावल**, **जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना** का भौगोलिक सूचकांक (जी.आई. पंजीकरण) किया गया है।

7. राज्य में कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 2008 से 2012 तक पहले कृषि रोड मैप, वर्ष 2012 से 2017 तक दूसरे कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया गया है तथा वर्ष 2017 से 2022 तक के लिए तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वाराकृषि रोड मैप की अवधि 31.03.2023 तक विस्तारित की गयी।

8. कृषि क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप लागू कर रही है। वर्तमान कृषि रोड मैप की अवधि 31.03.2023 तक निर्धारित है। इसके आगे 05 वर्षों के लिए कृषि रोड मैप बनाने का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 से चतुर्थ कृषि रोड मैप का कार्यान्वयन किया जायेगा। चतुर्थ कृषि रोड मैप वर्ष 2023–27 की अवधि के लिए है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तेलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे। पौधा संरक्षण सेवाओं को किसानों तक सहजता से पहुँचाने के लिए विशेष पहल किया जायेगा। इसके लिए अत्याधुनिक ड्रोन तकनीक का प्रयोग किया जायेगा। अगले वित्तीय वर्ष से जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत फसल पद्धति में बदलाव के साथ–साथ फसल अवशेष के प्रबंधन, बायोचार बनाने एवं पुआल का उपयोग पशु चारा के लिए करने के संबंध में कार्य किया जायेगा। बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए फसल विविधीकरण के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जायेगा। गैर कृषि योग्य भूमि में निम्बू घास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जायेगी।

गंगा नदी के किनारे अवस्थित जिलों में ऑरगेनिक (जैविक) कॉरिडोर का विस्तार किया जायेगा। सरकारी कृषि बाजार प्रागंण में अत्याधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण किया जायेगा जिससे किसानों की उपज को उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा।

(**II**). **CFMS 2.0:** CFMS 2.0 को वित्तीय वर्ष 2023–24 में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की योजना है । इसके अन्तर्गत निम्नलिखित Module विकसित किया जाना है।

(**i**). Ways & Means Module

(**ii**). Debt & Investment Management Module

(**iii**). Payee Grievance Redressal System Module Self Service Portal (Beneficiary, Pensioner)

(**iv**). Asset Management Module

(**v**). Audit Module

(**vi**). Revenue Management System (RMS)

(**vii**). General Provident Fund Management (GPF) Module

(**III**). **DBT:** केन्द्र प्रायोजित स्कीमों एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ सीधे लाभुकों को पहुचाने हेतु ई–लाभार्थी पोर्टल एवं PFMS के माध्यम से DBT किया जा रहा है। बिहार DBT Portal में कुल 18 (अठारह) विभाग एवं कुल 129 (एक सौ उनतीस) स्कीम शामिल है । वित्तीय वर्ष 2021–22 में कुल 18,402.16 करोड रूपये का DBT किया गया है । वित्तीय वर्ष 2022–23 में जनवरी, 2023 तक 7,708.36 करोड़ रूपये का DBT किया गया है ।

(**IV**). **PFMS:** CSS के नए दिशा–निर्देश के तहत सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए SNA (Single Nodal Agency) नामित किया गया है एवं Single Nodal Account खोला गया है तथा इसका PFMS Portal पर Mapping भी किया गया है ।

(**VI**). **मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एच०आर०एम०एस०):** सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प, 2017 के अनुरूप, राज्य सरकार के कर्मियों के लिए इस परियोजना का क्रियान्वयन दो

चरणों में किया जा रहा है। अगस्त 2022 में पे रॉल मॉड्यूल (चरण–1) का सफलतापूर्वक आरंभ हो गया है। अब सारे भुगतान और संबंधित बिल इस के जरिए तैयार किए जा रहे हैं और आगे भुगतान के लिए व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली (सी०एफ०एम०एस०) के साथ पूर्ण समेकन किया गया है। दूसरे चरण में संवर्ग प्रबंधन, प्रोन्नति ऋण एवं वसूली, छुट्टी, स्थानांतरण आदि अन्य मॉड्यूल विकसित किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के उत्तराधिकार संबंधी लगभग 93 प्रतिशत आंकड़ों का डिजिटलीकरण हो गया है और गुणवत्ता की जांच प्रक्रियाधीन है।

(4) नीति परिवर्त्तन के लिए युक्तियुक्तता

राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण एवं सशक्त बनाने के लिए अनेक पहल किये हैं। पंचायती राज संस्थाओं की स्वायत्तता को बनाये रखने एवं उसे वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राशि का हस्तांतरण किया जा रहा है। राज्य सरकार अपने कर्मियों का ससमय पेंशन की राशि सीधे उनके खाते में हस्तांतरित कर रही है। 01.04.2019 से सेवानिवृत राज्य कर्मियों को सेवानिवृति लाभ का भुगतान CFMS Portal के माध्यम से उनके खाते में किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में पेंशन मद में कुल अनुमानित व्यय 29,436.92 करोड़ रूपये का है।

राज्य के वित्तीय घाटा की प्रतिपूर्ति हेतु बिहार सरकार प्रतिस्पर्धा बाजार से सस्ते ऋण की उगाही करती है और साथ ही नगद अवशेष पर निरंतर अनुश्रवण करती रहती है ताकि ऋण शोधन शूल्क को न्यूनतम किया जा सके। राज्य सरकार का ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति का 9 प्रतिशत से कम ही रहा है। वर्ष 2020–21 से राज्य सरकार द्वारा 50 वर्षीय ब्याज रहित ऋण की राशि का उपयोग आधारभूत संरचना के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण पर किया जा रहा है। वर्ष 2023–24 के बजट में विकासात्मक व्यय पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है जो कुल अनुमानित व्यय का 64 प्रतिशत है। इसके साथ सार्वजनिक निवेश एवं निर्माण (पूँजीगत परिव्यय) में वर्ष 2023–24 का बजट अनुमान 29,257.31 करोड़ रूपये का है। राज्य सरकार ने अपने बजट 2023–24 में उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने के उद्देश्य से व्यय का प्रबंधन को विकासमूलक बनाया गया है।

(5) नीति मूल्यांकन

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 एवं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन नियमावली, 2022 के अनुसार वांछित राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई है । मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण वित्तीय वर्ष 2021–22 की वास्तविकी, वित्तीय वर्ष 2022–23 के पुनरीक्षित अनुमान, वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट अनुमान तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्राक्कलन राजकोषीय घाटे की 3.00 प्रतिशत की अधिसीमा को ध्यान में रखते हुए अनुमानित किया गया है ।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिपादित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं सिद्धान्तों का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा पूर्णरूपेण सुनिश्चित किया जा रहा है ।

अनुसूची–4
राजकोषीय पारदर्शिता के लिए प्रकटन

क. राजकोषीय स्थिति का चयनित संकेतक

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	मद	वास्तविकी			बजट अनुमान	लक्ष्य		
		3 वर्ष पूर्व 2019–20	2 वर्ष पूर्व 2020–21	1 वर्ष पूर्व 2021–22	चालू वर्ष 2022–23	आगामी 1 वर्ष 2023–24	आगामी 2 वर्ष 2024–25	आगामी 3 वर्ष 2025–26
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	617153.00	618628.00	675448.00	745310.00	858928.00	944820.80	1039302.88
2.	राजस्व बचत	-1784.12	-11325.11	-422.38	4747.84	4478.97	4926.86	5419.55
3.	राजकोषीय घाटा	14723.93	29827.23	25551.26	25885.10	25567.83	28344.62	31179.09
4.	वर्ष के अन्त में लोक ऋण अधिशेष	148180.26	177214.86	208913.30	234999.15	276165.43	304510.05	335689.14
5.	कर राजस्व	93564.31	90203.08	126207.16	132567.60	152437.31	167681.04	184449.15
6.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व बचत	-0.29	-1.83	-0.06	0.64	0.52	0.52	0.52
7.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा	2.39	4.82	3.78	3.47	2.98	3.00	3.00
8.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल कर राजस्व	15.16	14.58	18.68	17.79	17.75	17.75	17.75
9.	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में लोक ऋण	24.01	28.65	30.93	31.53	32.15	32.23	32.30

वर्ष	विभाग / मंत्रालय	पत्रांक	दिनांक
2019-20	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	40(6)पीएफ-एस० /2017-18	04/04/2019
2020-21	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा0आ0(वि0)/05/2021-1172	27/09/2021
2021-22	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	पत्रांक-रा०आ०(वि०)-05/2021/1449	28/09/2022
2022-23	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	रा0आ0(वि0)-05/2021/1172	27/09/2021
2023-24	योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)	पत्रांक-रा०आ०(वि०)-05/2021/1449	28/09/2022

ख. राज्य सरकार के दायित्व के घटकों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	प्रवर्ग	पूर्ववर्त्ती वर्ष 1 अप्रैल 2021 को शेष राशि	वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्ति			वित्तीय वर्ष के दौरान वापसी अदायगी			शेष राशि (31 मार्च को)		
			पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविकी) 2021—22	चालू वर्ष पुनरीक्षित 2022—23	आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2023—24	पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविकी) 2021—22	चालू वर्ष पुनरीक्षित 2022—23	आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2023—24	पूर्ववर्त्ती वर्ष (वास्तविकी) 2021—22	चालू वर्ष पुनरीक्षित 2022—23	आगामी वर्ष (बजट अनुमान) 2023—24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	आन्तरिक ऋण										
(i)	बाजार उधार	132057.65	28517.46	41808.09	44390.48	4000.00	9100.11	17469.11	156575.11	189283.09	216204.46
(ii)	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	15853.95	0.00	0.00	0.00	1888.35	1888.35	1888.35	13965.60	12077.25	10188.90
(iii)	वित्तीय संस्थानों / बैंकों से ऋण इत्यादि	9287.75	2400.00	2675.88	3061.05	1575.84	1704.67	1896.89	10111.91	11083.12	12247.28
(iv)	बन्ध पत्र	2350.70	0.00	0.00	0.00	155.45	234.28	233.30	2195.25	1960.97	1727.67
(v)	अन्य ऋण	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45	7.45	7.45
(vi)	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय / अधिविकर्ष ण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आन्तरिक ऋण	**159557.50**	**30917.46**	**44483.97**	**47451.53**	**7619.64**	**12927.41**	**21487.65**	**182855.32**	**214411.88**	**240375.76**
2.	केन्द्र से ऋण	17657.35	9527.44	11670.35	1875.00	1126.83	1742.62	2071.04	26057.96	35985.69	35789.65
	कुल लोक ऋण	**177214.85**	**40444.90**	**56154.32**	**49326.53**	**8746.47**	**14670.03**	**23558.69**	**208913.28**	**250397.57**	**276165.41**
3.	लोक लेखा (अन्य दायित्व)	49980.65	77082.67	38310.98	74819.00	78466.39	38310.98	74819.00	48596.93	48596.93	48596.93
	योग	**227195.50**	**117527.57**	**94465.30**	**124145.53**	**87212.86**	**52981.01**	**98377.69**	**257510.21**	**298994.50**	**324762.34**

ग. ऋण/जमा संग्रहण पर ब्याज मूल्य का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	कोटि	वित्तीय वर्ष अंतर्गत उगाही		बकाया राशि (31 मार्च तक)	
		पूर्ववर्ती वर्ष (वास्तविकी)	चालू वर्ष (पुनरीक्षित अनुमान)	पूर्ववर्ती वर्ष (वास्तविकी)	चालू वर्ष (पुनरीक्षित अनुमान)
		2021-22	2022-23	2021-22	2022-23
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	बाजार से उधार एवं अन्य प्रतिभूतियाँ	28517.46	41808.09	158777.81	191251.51
2.	केन्द्र से ऋण	9527.44	11670.35	26057.96	35985.69
3.	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	13965.60	12077.25
4.	वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण	2400.00	2675.88	10111.91	11083.12
5.	रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/ अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	2593.14	2200	9521.65	9441.65
7.	आरक्षित निधि	3187.31	4110.98	1041.49	1121.49
8.	जमा	71302.22	32000	38033.79	38033.79
9	**कुल**	**117527.57**	**94465.30**	**257510.21**	**298994.50**

घ. सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

प्रक्षेत्र (गारंटियों की संख्या कोष्ठक के अंदर)	गारंटी की अधिकतम राशि		वर्ष 2021—22 के आरंभ में बकाया		वर्ष 2021—22 के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष 2021—22 के दौरान विलोपन (मांग को छोड़कर)	वर्ष 2021—22 के दौरान लागू		वर्ष 2021—22 के अंत में बकाया		गारंटियों का कमीशन या शुल्क		अन्य विषयक विवरण
	मूलधन	ब्याज	मूलधन	ब्याज			मुक्त किया गया	मुक्त नहीं किया गया	मूल	ब्याज	प्राप्ति योग्य	प्राप्त	
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)	(11)
पावर (3)													
बिहार राज्य पावर जनरेशन कंपनी लि०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०	5775.32	46.32	5203.83	37.38	450.00	0.00	0.00	0.00	5653.83	46.32	0.00	0.00	
नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि०	4395.98	22.50	3819.84	19.97	518.23	0.00	0.00	0.00	4322.34	22.50	0.00	0.00	
बिहार राज्य विद्युत ट्रांशमिशन कंपनी लि०	5368.72	245.68	1250.00	104.01	800.00	0.00	0.00	0.00	2550.00	245.68	0.00	0.00	
जोड़	**15540.02**	**314.50**	**10273.67**	**161.36**	**1768.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12526.17**	**314.50**	**0.00**	**0.00**	
सहकारिता (5)													
केडिट सहकारिता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य दुग्ध सहकारिता फेडरेशन, पटना (कॉम्फेड)	540.40	0.00	127.01	7.52	0.00	33.51	0.00	0.00	93.50	5.53	0.00	0.00	
आवास सहकारिता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य भण्डारण निगम	178.00	0.00	134.00	0.00	0.00	14.91	0.00	0.00	119.28	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम													
बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०	5000.00	0.00	1600.00	14.34	4800.00	2400.00	0.00	0.00	4000.00	47.16	0.00	0.00	
जोड़	**5718.40**	**0.00**	**1861.01**	**21.86**	**4800.00**	**2448.42**	**0.00**	**0.00**	**4212.78**	**52.69**	**0.00**	**0.00**	
सिंचाई (1)													
बिहार राज्य पहाड़ी क्षेत्र उदवह सिंचाई निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
जोड़	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
बिहार राज्य सड़क विकास निगम लि०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
जोड़	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
राज्य वित्तीय निगम (1)													
बिहार राज्य वित्तीय निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
जोड़	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

राशि करोड़ रूपये में

प्रक्षेत्र (गारंटियों की संख्या कोष्ठक के अंदर)	गारंटी की अधिकतम राशि		वर्ष 2021—22 के आरंभ में बकाया		वर्ष 2021—22 के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष 2021—22 के दौरान विलोपन (मांग को छोड़कर)	वर्ष 2021—22 के दौरान लागू		वर्ष 2021—22 के अंत में बकाया		गारंटियों का कमीशन या शुल्क		अन्य विषय क विवरण
	मूलधन	मूलधन	मूलधन	ब्याज			मुक्त किया गया	मुक्त नहीं किया गया	मूल	ब्याज	प्राप्ति योग्य	प्राप्त	
(1)	**(2)**		**(3)**		**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**		**(9)**	**(10)**	**(11)**
बिहार राज्य आवास बोर्ड	4.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	
जोड़	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.57**	**0.00**	**0.00**	
अन्य आधारभूत संरचनाएं (5)													
बिहार राज्य जल परिषद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
क्षेत्रीय विकास प्राधिकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य लघु उद्योग निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य चीनी निगम लि0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार औषध तथा रसायन लि0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
जोड़	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
कोई अन्य (10)													
बिहार राज्य कृषि विकास परिषद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य खाद्य एवं सिविल आपूर्ति निगम	16000.00		3900.00	127.62	10832.50	6959.57	0.00	0.00	7870.50	30.05	8.69	0.00	
बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य बीज निगम लि0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम, पटना	30.00		30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		0.00	0.00	
बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	25.00		15.39	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	15.42	17.09	0.00	0.00	
बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लि0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति विकास निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
जोड़	**16055.00**	**0.00**	**3945.39**	**143.84**	**10832.50**	**6959.57**	**0.00**	**0.00**	**7915.92**	**47.14**	**8.69**	**0.00**	
कुल जोड़	**37317.42**	**314.50**	**16080.07**	**327.63**	**17400.73**	**9407.99**	**0.00**	**0.00**	**24654.87**	**414.90**	**8.69**	**0.00**	

ङ दायित्वों एवं आस्तियों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

31.03.2021 की स्थिति	दायित्व एवं आस्तियाँ	31.03.2022 की स्थिति
	दायित्व	
159557.50	**आंतरिक ऋण**	**182855.32**
132057.54	ब्याज सहित बाजार ऋण	156575.00
0.12	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.11
21.55	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	21.55
27478.29	अन्य संस्थानों से ऋण	26258.66
17657.35	**केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम**	**26057.96**
3.91	वर्ष 1984-85 के पूर्व का ऋण	3.91
0.58	स्थापना एवं प्रतिबद्ध ऋण	0.58
191.29	राज्य स्कीम के लिए ऋण	191.29
1.01	केन्द्रीय प्रक्षेत्र स्कीम के लिए ऋण	1.01
41.16	केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के लिए ऋण	36.95
42.96	स्कीम के लिए अर्थोपाय अग्रिम	42.96
17376.44	राज्य के अन्य ऋण	25781.26
74.01	**अंतर्राज्यीय समायोजन**	**74.01**
350.00	**आकस्मिकता निधि (संग्रह)**	**350.00**
55831.77	**लोक लेखा पर देयताएं**	**54544.54**
9445.38	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	9521.65
39634.21	जमा	38033.80
6641.19	आरक्षित निधि	6781.61
0.00	प्रेषण शेष	0.00
110.99	उचंत तथा विविध शेष	207.48
65572.29	**व्यय से प्राप्तियों का संचयी अधिकाई**	**65149.91**
299042.92	**कुल**	**329031.74**
	आस्तियाँ	
24864.64	**नकद**	**29478.66**
0.00	कोषागार में नकद एवं स्थानीय प्रेषण	0.00
234.65	विभागीय नकद अवशेष	234.65
761.43	स्थायी अग्रिम	762.4
17826.65	नकद शेष निवेश	22070.25
301.79	भारतीय रिजर्व बैंक में जमा	671.24
5740.12	उद्दिष्ट निधियों से निवेश	5740.12
235687.92	**स्थायी आस्तियों पर सकल पूँजीगत व्यय**	**259366.21**
32870.61	कंपनी एवं निगमों आदि के शेयरों में निवेश	35436.02
202817.31	अन्य पूँजीगत व्यय	223930.19
0.00	**आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूरित)**	**0.00**
21743.77	**ऋण एवं अग्रिम**	**23194.36**
249.96	**सिविल अग्रिम**	**249.96**
15378.2	**उचंत एवं विविध शेष**	**15616.59**
1118.43	**प्रेषण शेष**	**1125.96**
0.00	**प्राप्तियों से व्यय का संचयी अधिकाई**	**0.00**
299042.92	**कुल**	**329031.74**

च. समेकित निक्षेप निधि विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में शेष 2021—22	पूर्व वर्ष में बढोतरी 2021—22	पूर्व वर्ष में प्रत्याहरण 2021—22	पूर्व वर्ष के अंत में/ चालू वर्ष के आरंभ में बकाया 2022—23	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों/बाजार ऋण का भंडार (प्रतिशत) 2022—23	चालू वर्ष में संभावित बढोतरी 2022—23	चालू वर्ष में संभावित प्रत्याहरण 2022—23	चालू वर्ष 2022—23 के अंत में/ आगामी वर्ष 2023—24 के आरंभ में अनुमानित शेष	चालू वर्ष के अन्त में एस.एल. आर. उधारों/बाजार ऋण का अनुमानित भंडार (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5831.86	651.57	0.00	6483.43	60.80	1688.00	0.00	8171.43	63.31

(c) Copyright 2023 Finance Department, Govt. Of Bihar

PRINTED AT SARASWATI PRESS LTD. (GOVT. OF WESTBENGAL ENTERPRISE), KOLKATA 700056